यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य च कत्सा अ धकारी, अल्मोड़ा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय मुख्य च कत्सा अ धकारी, अल्मोड़ा के माह 02/2016 से 04/2017 तक के लेखा अ भलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन, जो श्री संजय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी; श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी तथा श्री प्रमोद कुमार चौधरी, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में दिनांक 05.05.2017 से 18.05.2017 तक सम्पादित की गयी।

## <u>भाग-I</u>

1. <u>परिचयात्मकः</u> इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री वजयपाल संह नेगी, लेखापरीक्षक एवं श्री वनीत निगम, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 29.02.2016 से 17.03.2016 तक श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 05/2013 से 01/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी।

2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः- जनपद अल्मोड़ा में स्थित समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथ मक स्वास्थ्य केंद्र एवं च कत्सालय मुख्य च कत्सा अ धकारी कार्यालय के भौगो लक क्षेत्रा धकार के अंतर्गत आते हैं जनपद के अंतर्गत चल रही समस्त स्वास्थ्य सु वधाओं एवं योजनाओं का कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन मुख्य च कत्सा अ धकारी द्वारा कया जाना

   **(ii)** (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख में)

| वर्ष | आयोजनागत | | आयोजनेत्तर | |
|---|---|---|---|---|
| | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय |
| 2014-15 | 582.07 | 580.99 | 270.05 | 267.37 |
| 2015-16 | 489.82 | 462.47 | 322.57 | 300.12 |
| 2016-17 | 342.53 | 300.71 | 364.49 | 333.88 |

(ब) **Autonomous Bodies** की इकाइयों के वगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

| | | | |
|---|---|---|---|
| वर्ष | लागू नही | लागू नही | लागू नही |
| प्रारम्भिक शेष | | | |
| वर्ष के दौरान प्राप्तिया (क) केंद्रान्श (ख) राजयांश (ग) अन्य प्राप्तिया | | | |
| व्यय | | | |
| अंतिम शेष | | | |

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

(` लाख में)

| वर्ष | योजना का नाम | प्रारम्भिक अवशेष | प्राप्त | व्यय | अंतिम अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | RCH Flexipool | 240.01 | 627.69 | 585.03 | 282.67 |
| | NRHM Additional ties | 147.91 | 363.22 | 245.67 | 265.46 |
| | Immunisation | 25.66 | 64.80 | 71.72 | 18.74 |
| 2015-16 | RCH Flexipool | 235.56 | 520.65 | 672.31 | 83.90 |
| | NRHM Additional ties | 187.90 | 302.75 | 405.22 | 85.43 |
| | Immunisation | 18.74 | 107.47 | 81.05 | 45.16 |
| 2016-17 | RCH Flexipool | 83.91 | 700.63 | 673.97 | 100.57 |
| | NRHM Additional ties | 85.45 | 617.53 | 473.37 | 229.61 |
| | Immunisation | 35.16 | 91.41 | 69.13 | 57.44 |

**(iii)** इकाई को वेतन, औष ध, च कत्सा उपकरण, एवं निर्माण आदि मदों हेतु बजट राज्य स्तर से आवन्टित कया जाता है। मुख्यालय द्वारा इकाई को 'अ' श्रेणी में वर्गीकृत कया गया है।

वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

1). प्रमुख स चव, च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड, देहरादून

2). महानिदेशक- च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड, देहरादून

3). निदेशक- च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखंड, नैनीताल

4). अपर निदेशक (मुख्य च कत्सा अ धकारी एवं प्रमुख च कत्सा अधीक्षक)

5). संयुक्त निदेशक (मुख्य च कत्सा अधीक्षक)

6). वरिष्ठ च कत्सा अ धकारी

7). च कत्सा अ धकारी ग्रेड- 1 (प्रभारी च कत्सा अ धकारी)

8). च कत्सा अ धकारी सामान्य (च कत्सा अ धकारी)

**(iv)** लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः वर्तमान लेखापरीक्षा, वगत लेखापरीक्षा (02.2016) से अप्रैल 2017 तक की अव ध को आच्छादित करते हुए मुख्य च कत्सा अ धकारी, अल्मोड़ा के लेखा अ भलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य च कत्सा अ धकारी, अल्मोड़ा की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया था प्रतिचयन अ धकतम व्यय के आधार पर कया गया।

**(v)** लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अ धनियम, 1971 (डी. पी. सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो (अ)

प्रस्तर:1- अनुबंध की शर्तों के अनुसार कटौती न कए जाने के कारण प्राइवेट पार्टनर को रुपया 59.25 लाख का अ धक भुगतान।

मई 2013 मे महानिदेशक, च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देहारादून (The Concessioning Authority) द्वारा शील न र्संग होम प्राइवेट ल मटेड, बरेली, उत्तर प्रदेश (Concessionaire) के साथ अल्मोड़ा जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौखुटिया के पब्लिक प्राइवेट पार्टनर शप मोड मे संचालन हेतु पाँच वर्ष की अव ध के लए Concession Agreement कया गया था। Concessionaire द्वारा Agreement के Schedule-9 मे दर्शाये गए 12 clinical staff एवम 30 paramedical staff की schedule-5 मे दर्शायी गयी योग्यता एवम अनुभव के आधार पर नियुक्ति करनी थी। तथा उक्त स्टाफ की उपस्थिती सुनिश्चित करने हेतु संबन्धित software के साथ GPS Enabled Biometric Attendance system स्था पत करना था। समस्त स्टाफ द्वारा duty hours की शुरुआत एवम समाप्ती पर उक्त सस्टम मे उपस्थिती दर्ज करनी थी। तथा biometric system का डाटा वैबसाइट पर भी अपलोड करना था ता क आवश्यकता होने पर शासन द्वारा भी उसे देखा जा सके। प्राइवेट पार्टनर को fixed grant (1280 वर्गमीटर हेतु रुपया 1595 प्रति वर्गमीटर प्रतिमाह की दर से रुपया 2041600) एवं variable ग्रांट का भुगतान करना था। यदि Concessionaire शैड्यूल-10 मे उल्लि खत KPIs को प्राप्त नहीं करता तो पूर्ण त्रैमास हेतु भुगतान से 6 से 10 प्रतिशत कम KPIs प्राप्त करने पर 5 प्रतिशत, 11 से 15 प्रतिशत कम KPIs प्राप्त करने पर 15 प्रतिशत, 16 से 20 प्रतिशत कम KPIs प्राप्त करने पर 25 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत से अ धक प्रतिशत कम KPIs प्राप्त करने पर 40 प्रतिशत की कटौती की जानी थी तथा show cause notice भी जारी करना था। प्राइवेट पार्टनर द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत कए गए देयकों को प्रभारी च कत्सा धकारी सामुदायिक केंद्र एवं मुख्य च कत्सा धकारी द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुसार जांच करते हुए भुगतान हेतु महानिदेशक, च कत्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को अग्रसारित करना था।

अ भलेखों की संवीक्षा मे पाया गया क concessionaire द्वारा Agreement होने के तीन वर्ष से अ धक के बाद भी Agreement के Schedule-9 मे दर्शाये गए 12 clinical staff मे से तीन महत्वपूर्ण पद (Physician, Radiologist and Eye Surgeon) पर लेखापरीक्षा तक अ धकाशतः अनुपस्थित रहे। स्टाफ की उपस्थिती एवं KPIs के पारदर्शक निर्धारण हेतु संबन्धित software के साथ GPS Enabled Biometric Attendance system स्था पत नहीं कया गया। प्रारम्भ से अब तक क्लिनिकल स्टाफ मे 27.81 प्रतिशत से 55.22 प्रतिशत ***(Annexure-4)*** तक अनुपस्थिति रही। आगे अ भलेखों की जांच मे पाया गया क क्लिनिकल स्टाफ में physician, radiologist एवं Eye surgeon प्रारम्भ से ही लगातार अनुपस्थित रहे, जिसके कारण प्रारम्भ से ही अल्ट्रासाउंड एवं ईसीजी नहीं कए गए ***(Annexure-1,2&3)***/ परंतु उक्त च कत्सा उपकरण निष्क्रिय रहने हेतु KPI-4 के अनुसार कोई कटौती नहीं की गयी।

आगे, जांच में पाया गया क सामुदायिक स्वस्थ्य केन्द्र, चौखुटिया के शासकीय प्रभारी च कत्सा धकारी एवं मुख्य च कत्सा अ धकारी द्वारा Concessionaire द्वारा प्रस्तुत कए गए देयकों की एग्रीमेंट मे दर्शाये गए Key Performance Indicators (KPIs) एवम Incentive Mechanism के framework मे दर्शाये गए फॉरमूले के अनुसार पूर्ण रूप से जांच कए बिना देयकों को भुगतान हेतु महानिदेशक, च कत्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को अग्रसारित कया गया, जिसके परिणाम स्वरूप प्राइवेट पार्टनर को अक्टूबर 2014 से अगस्त 2016 तक उसको देय धनरा श से रुपया 59.25 लाख (Annexure-5, Table.2) का अ धक भुगतान कया गया।

लेखापरीक्षा मे इं गत कए जाने पर मुख्य च कत्सा धकारी ने उत्तर दिया क KPIs के अनुसार कटौती न कए जाने के संबंध में संबन्धित प्रभारी च कत्सा धकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा, और यह भी कहा क concessionaire का अनुबंध समाप्त कर दिया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी च कत्सा धकारी ही नहीं मुख्य च कत्सा अ धकारी को भी उसके द्वारा प्रस्तुत कए गए देयकों की अनुबंध मे दर्शाये गए फोर्मूले के अनुसार जांच कए बिना भुगतान हेतु महानिदेशालय को अग्रसारित कए गया, एवं प्राइवेट पार्टनर द्वारा प्रारम्भ से अनुबंध की समाप्ती तक अनुबंध की शर्त के अनुसार अपे क्षत क्लिनिकल स्टाफ की तैनाती नहीं की जिसके कारण जनता पूर्ण स्वास्थ्य सु वधाओं से वं चत रही फर भी अनुबंध समाप्ति की अनुशंसा बहुत देर से की गयी।

इस प्रकार अनुबंध की शर्तो के अनुसार कटौती कए जाने एवं समय से सं वदा भंग हेतु कार्यवाही कए जाने में वरती गयी श थलता एवं लापरवाही के कारण न क जनसाधारण गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सु वधाओं से वांछी रहा बल्कि प्राइवेट पार्टनर को देय धनरा श से रुपया 59.25 लाख का अ धक भुगतान भी कया गया।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग-दो (ब)</u>

प्रस्तर:-1- रुपया 22.54 लाख का अनिय मत व्यय।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मशन के अंतर्गत उपकेन्द्रों हेतु जारी वा षक अनटायड फंड के उपयोग हेतु जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अनटायड फंड के रूप में प्राप्त धनरा श का उपयोग उपकेंद्र के लघु सुधार, गोपनीयता हेतु पर्दे, टैप मरम्मत, वद्युत बल्ब, प्रसव के उपरांत सफाई हेतु तदर्थ भुगतान, एवं बेंडेज, ब्ली चंग पाउडर की अ धपरपति में व्यय कया जाएगा। अनटायड फंड के रूप में प्राप्त धनरा श का उपयोग कसी प्रकार के वेतन, वांहन अ धप्राप्ति एवं आवर्ती व्यय में नहीं कया जाएगा। अ भलेखों की संवीक्षा में पाया गया क मुख्य च कत्सा अ धकारी कार्यालय द्वारा जनपद के सभी उपकेन्द्रों पर तैनात ANMs द्वारा वत्तीय वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक मोबाइल रीचार्ज पर आवर्ती रूप से रुपया 200/ प्रति माह की दर से अनटायड फंड के उपयोग हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए रुपया 22.54 लाख का अनिय मत व्यय कया गया।

लेखापरीक्षा में इं गत कए जाने पर मुख्य च कत्सा अ धकारी ने उत्तर दिया क मशन निदेशक से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में मोबाइल रीचार्ज करने के निर्देश दिये गए। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्यों क मोबाइल रीचार्ज पर आवर्ती रूप से व्यय कया जाना भारत सरकार द्वारा अनटायड फंड के उपयोग हेतु जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण उल्लंघन था।

अतः अनटायड फंड से रुपया 22.54 लाख के अनिय मत उपयोग का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो (ब)</u>

प्रस्तर:-2- रुपया 21.77 लाख की हानि।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एवं मुख्य मंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के संचालन हेतु च कत्सालय, बीमा कंपनी तथा TPA के साथ कए गए सेवा अनुबंध के अनुसार एंपेनल्ड च कत्सालय द्वारा लाभार्थी के च कत्सालय से डस्चार्ज होने के सात दिन के अंदर लाभार्थी की च कत्सा से संबन्धित सभी वांछित दस्तावेज़ ऑनलाइन अपलोड कर दिये जाने चाहिए। च कत्सालय द्वारा नेट कनेक्टि वटी अथवा अन्य कारण से वांछित दस्तावेज़ ऑनलाइन अपलोड करने में असमर्थ रहने की स्थिति में, अपने भुगतान हेतु दावों को अ धकतम दस दिन के अंदर इलेक्ट्रोनिकली अथवा मेनुयली बीमा कंपनी को प्रस्तुत कर देने चाहिए। च कत्सालय भुगतान हेतु दावों को प्रस्तुत करने में हुई देरी के कारणों को बीमा कंपनी को सू चत करेगा, यदि दावे 30 दिन के अंदर बीमा कंपनी को प्रस्तुत कए जाते हैं तो, बीमा कंपनी इस आधार पर दावों को अस्वीकार नहीं करेगी क दावे 10 दिन के अंदर प्राप्त नहीं हुए अथवा निर्धारित प्रपत्र में नहीं थे। मुख्य च कत्सा अ धकारी द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एवं मुख्य मंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना से संबन्धित अ भलेखों की संवीक्षा में पाया गया क मई 2017 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एवं मुख्य मंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अनुबन्ध में निर्धारित समय सीमा के पश्चात प्रस्तुत कए जाने के कारण बीमा कंपनी द्वारा क्रमशः रुपया 9.36 लाख तथा 12.41 लाख के भुगतान दावे अस्वीकार कए गए, जिसके परिणाम स्वरूप शासन को रुपए 21.77 लाख की हानि हुई।

लेखापरीक्षा में इं गत कए जाने पर मुख्य च कत्सा अ धकारी ने उत्तर दिया क वलम्ब से दावा प्रस्तुत करने वाले च कत्सालयों को समय-समय पर चेतावनी पत्र जारी कए गए थे, एवं बीमा कंपनी द्वारा अस्वीकार कए गए दावों में इं गत क मयों के निराकरन हेतु निर्दे शत करते हुए बीमा कंपनी को उक्त दावों का रि वयू कए जाने हेतु लखा गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्यों क यदि अनुबंध की शर्तों के अनुसार सभी दावे वांछित दस्तावेजों सहित निर्धारित समय-सीमा के अंदर प्रस्तुत कए गए होते तो उक्त रुपए 21.77 लाख की हानी को बचाया जा सकता था।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो (ब)</u>

प्रस्तर:-3- रुपया 6.36 लाख का अनिय मत व्यय।

भारत सरकार द्वारा RCH Training हेतु जारी Financial Norms के अनुसार जनपद स्तर पर आयोजित आवासीय प्र शक्षण में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभा गयो पर (breakfast, working Tea, lunch and dinner) हेतु प्रति दिन अ धकतम रुपया 250/ व्यय कया जाना चाहिए। अ भलेखों की संवीक्षा में पाया गया क फ़रवरी 2016 से मार्च 2017 तक जनपद स्तर पर आयोजित अनावासीय प्र शक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले का र्मकों को भोजन उपलब्ध कराने पर रुपया 6.36 लाख का व्यय कया गया।

लेखापरीक्षा में इं गत कए जाने पर मुख्य च कत्सा अ धकारी ने उत्तर दिया क भ वष्य में भारत सरकार द्वारा निर्धारित वत्तीय मानकों के अनुसार व्यय कया जाएगा।

## <u>STAN</u>

प्रस्तर:- **1-** धनरा श रु 2,43,129/- के निष्प्रयोज्य वाहनों का नीलामी न  कया जाना

कार्यालय मुख्य  च कत्सा अ धकारी, अल्मोड़ा में वर्ष 2007 से 2014 के मध्य धनरा श रु 2,43,129/- के कुल सात वाहन आफ रोड घो षत  कये गए थे, जिनकी नीलामी होनी अभी तक लम्बित थी  नीलामी न  कये जाने के कारण उक्त वाहनों का निरन्तर मूल्य ह्रास हो रहा था, जिसके कारण उक्त वाहनों के नीलामी से प्राप्त होने वाली  वभागीय प्राप्तियों की हानि हो रही थी

लेखापरीक्षा में इं गत  कये जाने पर मुख्य  च कत्सा अ धकारी, अल्मोड़ा ने उत्तर दिया  क वाहनों की नीलामी हेतु दो बार  वज्ञप्ति प्रका शत होने के उपरान्त भी  कसी नि वदा दाता द्वारा प्रतिभाग न  कये जाने के कारण नीलामी नहीं की जा सकी  उत्तर स्वीकार्य नहीं है आफ रोड घो षत  कये जाने के 3 से 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी नीलामी नहीं की गयी।

अत: प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है

## STAN

प्रस्तर:-2-धनरा श रु 133.61 लाख का अवरोधन।

जिला योजना के अंतर्गत राजकीय एलोपै थक च कत्सालय कनारीछीना के मुख्य भवन, टाइप-4 के एक आवास, टाइप-2 के एक एवं टाइप-1 के दो आवासों के निर्माण हेतु (फरवरी 2015), एवं उपकेंद्र गुदलेख के मुख्य भवन के निर्माण (फरवरी 2016) हेतु क्रमशः रुपया 99.81 लाख, तथा 33.80 लाख की प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। स्वीकृत धनरा श के सापेक्ष कार्यदायी संस्था पेयजल निगम, रानीखेत को उक्त कार्यों हेतु क्रमशः रुपया 99.81 लाख, तथा रुपया 33.80 लाख की धनरा श क्रमशः फरवरी 2015 एवं फरवरी 2016 में अवमुक्त की जा चुकी थी। अ भलेखों की जांच मे पाया गया क राजकीय एलोपै थक च कत्सालय कनारीछिना एवं उपकेन्द्र गुदलेख के मुख्य भवन का निर्माण कार्य मुख्य च कत्सा अ धकारी कार्यालय द्वारा निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था को भू म उपलब्ध न कराये जाने के कारण स्वीकृति के एक से दो वर्ष बाद तक भी आरंभ नहीं कया जा सका था। जिसके परिणामस्वरूप कार्यदायी संस्था के पास उक्त कार्यों हेतु अवमुक्त रुपया 133.61 लाख की धनरा श लगभग एक से दो वर्षों से अवरुद्ध पड़ी हुई थी।

लेखापरीक्षा में इं गत कए जाने पर मुख्य च कत्सा अ धकारी ने उत्तर दिया क राजकीय एलोपै थक च कत्सालय कनारीछीना में पूर्व भू म ववादित होने के कारण पुनः भू म चन्हित कर हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है एवं उपकेन्द्र गुदलेख हेतु पूर्व में उपलब्ध कराई गयी भू म, उपयुक्त न होने के कारण पुनः भू म उपलब्ध कराई जा रही है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यों क धनरा श अवमुक्त करने से पूर्व कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्यों हेतु नि र्ववादित एवं उपयुक्त भू म का हस्तांतरण सुनिश्चित कया जाना चाहिए था, ता क कार्य समय से आरंभ कया जा सकता। परन्तु, मुख्य च कत्सा अ धकारी कार्यालय द्वारा कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्यों हेतु नि र्ववादित एवं उपयुक्त भू म उपलब्ध न कराये जाने में बरती गयी श थलता के कारण उक्त कार्य स्वीकृति के पंद्रह से सत्ताईस माह बाद भी आरंभ नहीं कए जा सके थे, एवं रुपया 133.61 लाख क धनरा श कार्यदायी संस्था के पास अवरुद्ध पड़ी हुई थी।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

## STAN

प्रस्तर:-3- स्वीकृति के पन्द्रह वर्षो बाद भी कार्यों का अपूर्ण रहना।

कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गयी कार्यों की भौतिक प्रगति आख्या के अनुसार शासन द्वारा राज्य एवं जिला योजना के अंतर्गत मार्च 2002 से अप्रैल 2013 तक बारह निर्माण कार्यों हेतु रुपया 14.43 करोड़ की वत्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त कार्यों में से पाँच कार्य कार्यदाई संस्था आर0ई0एस0 को, छ्ह कार्य पेयजल निगम को एवं एक कार्य उ0प्र रा0 निर्माण निगम को आबंटित कये गये थे। कार्यदाई संस्थाओं को स्वीकृत धनरा श के सापेक्ष मार्च 2017 तक रुपया 11.90 करोड़ की धनरा श अवमुक्त की जा चुकी थी, जिसके सापेक्ष कार्यदायी संस्थाओं द्वारा रुपया 10.93 करोड़ की धनरा श व्यय की जा चुकी थी एवं रुपया 0.97करोड़ की धनरा श कार्यदायी संस्थाओं के पास अवशेष पड़ी हुई थी *(अनुलग्नक-1)*।

आगे, अ भलेखों की जांच में पाया गया क उक्त कार्यों में से चार कार्यों हेतु रुपया 2.96 करोड़ की लागत वृद् ध के साथ शासन को सतंबर 2014 में पुनरी क्षत आगणन स्वीकृति हेतु प्रे षत कए गए थे, जो आति थ तक शासन द्वारा स्वीकृत नहीं कए गए थे। इस प्रकार वभागीय उदासीनता के कारण स्वीकृति के चार से 15 वर्ष बीत जाने के बाद भी उक्त निर्माण कार्य अपूर्ण पड़े हुए थे।

लेखापरीक्षा में इं गत कए जाने पर मुख्य च कत्सा अ धकारी ने उत्तर दिया क कार्यदायी संस्थाओं को स्वीकृत धनरा श एकमुश्त अवमुक्त न कए जाने के कारण, प्रतिवर्ष अनुसूची दरों में वृद् ध होने के कारण लागत में वृद् ध होने से एवं निर्माण कार्यों हेतु भू म उपलब्ध न होने के कारण उक्त कार्य पूर्ण नहीं हो सके हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यों क मुख्य च कत्सा अ धकारी कार्यालय द्वारा निर्माण कार्यों हेतु धनरा श अवमुक्त करने से पूर्व भू म क उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए थी तथा निर्माण कार्यों के व भन्न भागों हेतु चरणवद्ध तरीके से प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति प्राप्त कर कार्यदायी संस्था के साथ कार्य पूर्ण करने की ति थ निर्धारित करते हुए अनुबंध गठित कर स्वीकृत धनरा श एकमुश्त अवमुक्त की जानी चाहिए थी, ता क कार्यों को समय से पूर्ण कया जा सकता एवं लागत वृद् ध से बचा जा सकता। परंतु, मुख्य च कत्सा अ धकारी कार्यालय द्वारा उक्त कार्यों के निष्पादन में वरती गयी श थलता के कारण उक्त कार्य स्वीकृति के पन्द्रह वर्षों बाद भी पूर्ण नहीं कए गए थे एवं प्रे षत पुनरी क्षत आगणनों के अनुसार सतंबर 2014 तक रुपया 2.96 करोड़ की लागत वृद् ध हो चुकी थी।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण:-

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या | भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या | STAN | TAN |
|---|---|---|---|---|
| सा॰क्षे॰/AIR/106/2008-09 | 2 | 3 | शून्य | शून्य |
| सा॰क्षे॰/AIR/35/2010-11 | 1 | 1 to 6 | शून्य | शून्य |
| सा॰क्षे॰/AIR/73/2011-12 | 1 | 1 to 3 | शून्य | शून्य |
| सा॰क्षे॰/AIR/122/2013-14 | 1 | 1 to 2 | शून्य | शून्य |
| सा॰क्षे॰/AIR/219/2015-16 | 01 | 1 to 7 | शून्य | 1, 2 & 3 |

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण | अनुपालन आख्या | लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| सा॰क्षे॰/AIR/ 106/2008-09 | भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- 2 एवं भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 3 | अप्रस्तुत | यथावत रखा जाता है | --- |
| सा॰क्षे॰/AIR/ 35/2010-11 | भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- 1 एवं भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1 से 6 | अप्रस्तुत | यथावत रखा जाता है | --- |
| सा॰क्षे॰/AIR/ 73/2011-12 | भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- 1 एवं भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1 से 3 | अप्रस्तुत | यथावत रखा जाता है | --- |
| सा॰क्षे॰/AIR/ 122/2013-14 | भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- 1 एवं भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1 से 2 | अप्रस्तुत | यथावत रखा जाता है | --- |
| सा॰क्षे॰/AIR/ 219/2015-16 | भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- 1 एवं भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1 से 7 एवं - 1 से 3 | संलग्न है | यथावत रखा जाता है | --- |

## भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.................................. शून्य .....................................

## <u>भाग-V</u>

## <u>आभार</u>

**1.** कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय मुख्य च कत्सा अ धकारी, अल्मोड़ा तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

अप्रस्तुत अ भलेखः शून्य

**2.** सतत् अनिय मतताएः

(i) शून्य

**3.** लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

| नाम | पदनाम | अव ध |
|---|---|---|
| डॉ0 रमेश चन्द्र पन्त | मुख्य च कत्सा अ धकारी, अल्मोड़ा | वगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक |

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति मुख्य च कत्सा अ धकारी, अल्मोड़ा को इस आशय से प्रे षत कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, सी- 1/105, वैभव पैलेश, इंदिरा नगर, देहरादून, 248006 को प्रे षत कर दी जाय।

लेखापरीक्षा अ धकारी/सामाजिक क्षेत्र